न्यायालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

राजसात वाद संख्या-62/2023

राज्य

बनाम्

विकास कुमार सिंह

—: आदेश :—

1/12	वर्तमान वाद की प्रक्रिया पुलिस अधीक्षक, लातेहार के पत्रांक 1023/अप0शा0 दिनांक 09.05.2023 से बालूमाथ थाना काण्ड संख्या–13/2023 दिनांक–11.01.2023 में जप्त वाहन को राजसात की कार्रवाई हेतु प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में प्रारम्भ किया गया। यह वाद बालूमाथ थाना काण्ड संख्या–13/2023 दिनांक–11.01. 2023 से संबंधित है। "The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017" के नियम 11(v) में उल्लेखित है कि "Any minerals, tool, equipment, vehicle or anything seized shall be liable to be confiscated by an order of the court of the Deputy Commissioner of the concerned district and shall be disposed of in accordance with direction of such court." एवं नियम 9 (i) में उल्लेखित है कि No person shall transport or otherwise remove or carry away any mineral from any place without obtaining a transport challan duly generated through JIMMS. राज्य की ओर से पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज में कहा गया है कि प्रमुख सुरक्षा प्रहरी, मगध कोल परियोजना, रामलाल उरांव के टंकित आवेदन के आधार पर बालूमाथ थाना काण्ड संख्या–13/2023 दिनांक–11.01.2023 दर्ज किया गया। टंकित आवेदन में उल्लेखित है कि दिनांक 11.01.2023 को रात्री समय करीब 01:20 बजे गुप्त सूचना मिली कि मगध परियोजना के चमातु कोलियरी में कुछ अवैध हाईवा कोयला के लिये घुसी हुई है। उक्त सूचना के सत्यापन हेतु चमातु कोलियरी के काटा नं0–13 के पास सभी वाहनों के कागजात कि जांच करने लगे। वाहन जांच के क्रम में समय करीब 01:40 बजे एक हाईवा को टार्च के रोशनी से रोकने का इशारा

Scanned with CamScanner

किया तो हाईवा चालक हाईवा को रोक कर भागने लगा। भाग रहे हाईवा चालक को दैड़ाकर पकड़ने का प्रयास किया लेकिन चालक अंधेरा का लाभ उठाकर भागने में सफल रहा। उसके बाद हाईवा के पास जाकर देखा कि हाईवा रजि0–JH02AV-2216 चेसिस नं0–FH12613#0*/01LT3PGD25M2 जिसमें लगभग 20 टन कोयला लदा हुआ है। उसके केबीन खोल कर उसमे कर समें लदे कोयला से संबंधित कागजात का खोज बीन किया लेकिन कोई कागजात नहीं मिला। अवैध कोयला लदे हाईवा रजि0 नं0–JH02AV-2216 के संबंध में पता किया तो पता चला कि उक्त हाईवा को बालूमाथ थाना गोबरी टोला के अमन के द्वारा लोड करने के लिये भेजा गया था। गुप्तचर के द्वारा बताया कि बालूमाथ के अमन के द्वारा अवैध तरीके से हाईवा में कोयला लोड कर भट्ठा में बेचा जाता है। तत्पश्चात् उक्त हाईवा को जप्त कर अमरवाडीह पुलिस पिकेट में सुरक्षार्थ रखा गया। अनुसंधान के क्रम में काण्ड में जप्त हाईवा रजि0 नं0–JH02AV-2216 के मालिक का नाम पता सत्यापन जिला परिवहन कार्यालय, लातेहार से कराया गया, जिससे वाहन मालिक का नाम विकास कुमार सिंह, पे0–लालदेव कुमार सिंह, सा0–बड़कागांव, जिला–हजारीबाग है। काण्ड में जप्त हाईवा रजि0–JH02AV-2216 चेसिस नं0–FH12613#0*/01LT3PGD25M2 एवं उस पर लदे 20 टन कोयला के विरूद्ध राजसात की कार्रवाई हेतु अनुरोध किया किया गया है।

राज्य की ओर से पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

उपरोक्त हाईवा रजि0–JH02AV-2216 चेसिस नं0–FH12613#0*/01LT3PGD25M2 के वाहन स्वामी विकास कुमार सिंह, पे0–लालदेव कुमार सिंह, सा0–बड़कागांव, जिला–हजारीबाग को उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी, लातेहार के न्यायालय में अपना पक्ष रखने हेतु विभिन्न तिथियों को नोटिस निर्गत किया गया, जिसके पश्चात् कुछ तिथियों में विपक्षी उपस्थित हुए। बाद में वे लगातार अनुपस्थित रहने लगे, जिसके कारण पुनः विभिन्न तिथियों को नोटिस निर्गत किया गया तथा समाचार पत्रों में भी सूचना प्रकाशित कर अपना पक्ष रखने हेतु सूचित किया गया। इसके बावजूद भी विपक्षी द्वारा इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने में अभिरूची नहीं लिया गया। फलस्वरूप वाद को एकपक्षीय करते हुए राज्य की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज के

Scanned with CamScanner

आधार पर वाद की सुनवाई की गयी।

बालूमाथ थाना काण्ड संख्या–13/2023 दिनांक–11.01.2023 में जप्त हाईवा पर लदे कोयला से संबंधित कोई भी वैध कागजात विपक्षी के द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपरोक्त तथ्यों के समीक्षोपरांत यह स्पष्ट होता है कि हाईवा रजि0–JH02AV-2216 के द्वारा अवैध कोयला का परिवहन किया गया है। अतः हाईवा रजि0–JH02AV-2216 तथा उसपर लदे 20 टन कोयला को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार 08 सप्ताह के अन्दर नियमानुसार वाहन की निलामी कर प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा कर प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार राजसात वाहनों के निलामी की प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग करेंगे।

आदेश की प्रति थाना प्रभारी, बालूमाथ थाना, जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार, जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार, लोक अभियोजक, लातेहार, पुलिस अधीक्षक, लातेहार, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, व्यवहार न्यायालय, लातेहार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लातेहार को भेजें।

अभिलेख को जिला अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
लातेहार।

उपायुक्त,
लातेहार।

Digitally signed by Garima Singh
Date: 2024.09.20 17:46:52 +05:30
Location: 192.168.164.143

Scanned with CamScanner